

# प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

सु.नं 31/15 फर्द अहकाम तारीख 22/3 3.7.15

उपनाम - रवि सुदर्शन कुमार बनाम शंकर कोठे

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता Adv. प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफा वद्वेष सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बिना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी के को आगामी सुनवाई तिथि तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सूडा की आराजी ख. नं 254 रकबा 0.14 हे भूमि की मी के एंपरिकार्ड की यथास्थिति बनोये श्रेय। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जोरिस से तलब कर दिनांक 4.8.15 को पेश हो।

1485-93  
3-7-15

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम (करीली)

18/15 प्रार्थी वकील उप। अप्रार्थी नं. 2 की ओर से श्री सुनील कुमार जिनदल Adv ने उपस्थित दर्ज कराई। अप्रार्थी नं. 1, 3 नं. 9 व्यग्रद सूचना उपस्थित नहीं। P.O साहब युनाय कार्ड में व्यस्त ही आईन्दा दि 7.8.15 को पेश हो।

# यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

2.16 जनरल तारीख सेपेश हुई / वकूलाय उप० / १०.० साहब  
करोली मीटिंग में पधारे हैं। गतानुसार वास्ते जक्ख दिनांक  
8.8.16 को पेश हो।


8.9.16 वकूलाय उप० / गतानुसार दिनांक 14.9.16 को पेश हो।

14.9.16 वकूलाय उप० / अपील नं 2 व 7 का जक्ख पेश किया /  
नकल दिलाई। वास्ते बहस दिनांक 17.10.16 को पेश हो।

17.10 वकूलाय उप० / गतानुसार दिनांक 9-11-16 को  
पेश हो।

9.11.16 वकूलाय उप० / गतानुसार दि. 6.12.16 को पेश हो।

6.12.16 पत्रावली पेश हुई / कई बार आवाज दिलवाई /  
किन्तु वादी बक़त एवं वादी से कोई भी उपस्थित  
नहीं थे। डाल: अपम हाजिरी एवं अपम पैरामी  
स्वारिज किया जाता है पत्रावली फ़ैसल शुमा  
होकर नभरसे कम होकर दाया पत्रावली के  
साथ संलग्न रहे।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करोली)